इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2011—माघ 13, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्र.-डी-15-13-08-चौदह-3.—उन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (बत्तीस) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने के पश्चात् नियमों के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपित्त या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 है.

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973);

(ख) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) ''मण्डी समिति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 11 के अधीन गठित समिति;

(घ) ''सम्मिलन'' से अभिप्रेत है, मंडी समिति का सम्मिलन;

(ड.) ''प्रतिनिधि'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन लोक सभा या राज्य की विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा, मण्डी समिति में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति;

(च) ''धारा'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;

(छ) ''मतदाता सूची'' से अभिप्रेत है, मण्डी समिति के किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली या मतदाताओं की सूची.

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिए हैं.

3. **लोक सभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि की सदस्यता तथा नामनिर्देशन के लिए मण्डी समिति का चयन.**—(1) कलक्टर, अपने जिले की मण्डी समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होने के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र, लोक सभा के ऐसे सदस्य को, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में,—

(एक) अंतिम जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हो; और

(दो) एक से अधिक मण्डी समितियां हैं, यह अनुरोध करते हुये प्ररूप-1 में पत्र जारी करेगा कि—

(क) उस मण्डी समिति के लिए, जिसका कि वह सदस्य होने की वांछा करता है, प्ररूप-2 में, विकल्प दे जो पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा; और

(ख) यदि वह ऐसी वांछा करे, तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस प्रकार चयनित समिति के सम्मिलन में, उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए, उसके प्रतिनिधि के रूप में, जो नियम 5 में विहित अर्हता रखता है, प्ररूप-4 में, जो पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा, नामनिर्दिष्ट करें.

(2) लोक सभा के सदस्य से उपनियम (1) के अधीन विकल्प/प्रतिनिधि/का नामनिर्देशन प्राप्त हो जाने पर, कलक्टर, संबंधित मण्डी समिति के सचिव को उसकी एक प्रामाणिक प्रति अग्रेषित करेगा.

4. **राज्य विधान सभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन.**—(1) कलक्टर, अपने जिले की मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के निर्वाचन का परिणाम की घोषणा होने के पश्चात, यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के ऐसे सदस्य को, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में अंतिम जनगणना के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, उससे यह अनुरोध करने के लिए प्ररूप-3 में पत्र जारी करेगा कि यदि वह ऐसी वांछा करे तो किसी ऐसे व्यक्ति को जो मण्डी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए उसके प्रतिनिधि के रूप में जो नियम-5 में विहित अर्हता रखता है, प्ररूप 4 में, जो पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा, नामनिर्दिष्ट करें.

(2) राज्य विधान सभा सें उपनियम (1) के अधीन प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्देशन प्राप्त होने जाने पर, कलक्टर संबंधित मण्डी समिति के सचिव को उसकी एक प्रामाणिक प्रति अग्रेषित करेगा.

5. **प्रतिनिधि के लिए अर्हताएं.**—(1) कोई व्यक्ति नियम 3 या नियम 4 के अधीन प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हित होगा यदि:—

(क) उसका नाम संबंधित मंडी समिति की मतदाता सूची में सम्मिलित है;

(ख) वह मंडी समिति का अध्यक्ष या सदस्य निर्वाचित होने के लिये अर्हित है;

(ग) वह मंडी समिति के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी अनुबंध, संविदा या नियोजन में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन-संबंधी हित नहीं रखता है; और

(घ) वह मंडी समिति के किन्हीं शोध्यों का व्यतिक्रमी नहीं है.

(2) किसी प्रतिनिधि की अर्हता से संबंधित कोई भी आपित्त कलक्टर को निर्दिष्ट की जाएगी और यदि उसकी जांच की जाने पर कलक्टर यह पाता है कि ऐसा व्यक्ति नामनिर्देशन का हकदार नहीं था तो उसका नामनिर्देशन स्वत: ही समाप्त हो गया समझा जाएगा.

6. **प्रतिनिधि की स्थिति.**—(1) प्रतिनिधि सम्मिलन में होने वाली चर्चा में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का हकदार होगा किन्तु वह किसी विषय पर मत देने का हकदार नहीं होगा.

(2) प्रतिनिधि किसी सम्मिलन में उपस्थित होने के लिए मंडी समिति से कोई यात्रा भत्ता, मानदेय या किसी प्रकार की फीस प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा.

(3) प्रतिनिधि सम्मिलन की कार्यवाहियों में किसी प्रकार का व्यवधान कारित नहीं करेगा और सम्मिलन के अध्यक्ष के निदेश का पालन करेगा.

(4) नियम 3 एवं 4 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, लोक सभा सदस्य या विधान सभा सदस्य, किसी भी समय पूर्व में नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि के स्थान पर, नया प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा.

7. **निरसन तथा व्यावृत्ति,**—इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (विधान सभा सदस्य की मंडी समिति के गठन में सदस्यता) नियम, 1975 निरसित हो जाएगा:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई कार्रवाई, जब तक कि ऐसी कार्रवाई इन नियमों के किसी उपबंध से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

प्ररुप—1
(नियम 3 देखिए)

पत्र क्रमांक दिनांक . . . .
द्वारा स्थान . . . .

प्रति,

कलक्टर,
जिला . . . .

प्रति,

श्री . . . .

लोक सभा सदस्य

. . . .

. . . .

महोदय,

आपके निर्वाचन क्षेत्र जिला . . . . के अंतर्गत निम्नलिखित मण्डी समितियां आती है, अर्थात्:—

(1) मण्डी समिति . . . . (2) मण्डी समिति . . . .
(3) मण्डी समिति . . . . (4) मण्डी समिति . . . .
(5) मण्डी समिति . . . . (6) मण्डी समिति . . . .
(7) मण्डी समिति . . . . (8) मण्डी समिति . . . .

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के उपबंधों के अनुसार, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की मण्डी समितियों में से केवल एक के सदस्य हो सकते हैं. अतएव, आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस बारे में मुझे अपने विकल्प की सूचना, संलग्न प्ररुप-2 में दें.

2. यदि आप अपनी अनुपस्थिति में, मण्डी समिति में अपने प्रतिनिधि के रुप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के इच्छुक हैं तो कृपया उसका नामनिर्देशन संलग्न प्ररुप-4 में भेजें.

3. आपकी सुविधा के लिए, प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए विहित अर्हताओं से संबंधित मण्डी अधिनियम की धारा 11 तथा सुसंगत नियम का उद्धरण इसके साथ संलग्न है.

संलग्नक—यथा उपरोक्त

भवदीय:—

(. . . . .)

मुद्रा

कलक्टर . . . .

प्ररुप—1—का संलग्नक

उद्धरण

1. **मण्डी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) का उद्धरण**

"11 मण्डी समिति का गठन

(1) मण्डी समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(क) . . . .

(ख) . . . .

(ग) . . . .

(घ) राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा के ऐसे सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो किसी नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के बाहर है;

परन्तु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां एक से अधिक मण्डी समितियां विद्यमान है, वहां लोक सभा सदस्य अपना विकल्प निर्वाचन के पूर्व देगा कि वह ऐसी मण्डी समितियों में से एक मण्डी समिति में सदस्य होने का इच्छुक है:

परन्तु यह और कि लोक सभा का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य जो मण्डी समिति का सदस्य है, अपने प्रतिनिधि को जो ऐसी अर्हता रखता हो, जैसी कि विहित की जाए, मण्डी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए नामनिर्देशित कर सकेगा.

2. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के नियम 5 के उद्धरण

''5'' **प्रतिनिधि के लिए अर्हताएं:**—(1) कोई व्यक्ति नियम 3 या नियम 4 के अधीन प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्ह होगा, यदि—

(क) उसका नाम संबंधित मण्डी समिति की मतदाता सूची में सम्मिलित है;

(ख) वह मण्डी समिति का अध्यक्ष या सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है;

(ग) वह मण्डी समिति के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध, संविदा या नियोजन में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित नहीं रखता है;

(घ) वह मण्डी समिति के किन्हीं शोध्यों का व्यतिक्रमी नहीं है.

(2) किसी प्रतिनिधि की अर्हता के संबंध में कोई भी आपत्ति कलक्टर को निर्दिष्ट की जाएगी और यदि उसकी जांच की जाने पर कलक्टर यह पाता है कि ऐसा व्यक्ति नामनिर्देशन के लिए हकदार नहीं था तो उसका नामनिर्देशन स्वत: ही समाप्त हो गया समझा जाएगा.''

प्ररुप—2

(नियम—3 देखिए)

पत्र क्रमांक दिनांक ....

द्वारा स्थान ....

प्रति,

श्री ....

लोक सभा सदस्य

....

....

प्रति,

कलक्टर,

जिला ....

विषय:—मण्डी समिति की सदस्यता के संबंध में विकल्प.

महोदय,

मैं, एतद्द्वारा, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित मण्डी समिति .... का सदस्य होने का विकल्प देता हूं.

भवदीय,

हस्ताक्षर ....

(नाम ....)

सदस्य (लोक सभा)

निर्वाचन क्षेत्र का नाम ....

प्ररुप—3

(नियम—4 देखिए)

पत्र क्रमांक दिनांक ....

द्वारा स्थान ....

प्रति,

कलक्टर,

जिला ....

प्रति,

श्री ....

विधान सभा सदस्य/

....

....

महोदय,

आपके निर्वाचन क्षेत्र जिला .... के अंतर्गत निम्नलिखित मण्डी समितियां आती है, अर्थात्:—

(1) मण्डी समिति .... (2) मण्डी समिति ....

(3) मण्डी समिति .... (4) मण्डी समिति ....

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 की उपधारा (1) खण्ड (घ) के उपबंधों के अनुसार, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्त मण्डी समितियों के पदेन सदस्य हैं.

2. यदि आप अपनी अनुपस्थिति में, किसी मण्डी समिति के सम्मिलनों में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करने के इच्छुक हैं तो कृपया उसका नामनिर्देशन संलग्न प्ररुप—4 में भेजें. आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रत्येक मण्डी समिति के लिए पृथक प्ररुप (प्ररुप—4) का उपयोग करें.

3. आपकी सुविधा के लिए, प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रतिनिधि के लिए विहित अर्हता से संबंधित सुसंगत नियम का उद्धरण इसके साथ संलग्न है.

संलग्नक—यथा उपरोक्त

भवदीय,

(..........................)

मुद्रा

कलक्टर ....

प्ररुप—3 का संलग्नक

उद्धरण

मध्यप्रदेश कृषि—उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के नियम—5 का उद्धरण

''**5 प्रतिनिधि के लिए अर्हताएं:**—(1) कोई व्यक्ति नियम 3 या नियम 4 के अधीन प्रतिनिधि के रुप में नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हित होगा यदि:—

(क) उसका नाम संबंधित मण्डी समिति की मतदाता सूची में सम्मिलित है;

(ख) वह मण्डी समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रुप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित है;

(ग) वह मण्डी समिति के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध, संविदा या नियोजन में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित नहीं रखता है; और

(घ) वह मण्डी समिति के किन्हीं शोध्यों का व्यतिक्रमी नहीं है.

(2) प्रतिनिधि का अर्हता के संबंध में कोई भी आपत्ति कलक्टर को निर्दिष्ट की जाएगी और यदि उसकी जांच की जाने पर कलक्टर यह पाता है कि ऐसा व्यक्ति नामनिर्देशन के लिए हकदार नहीं था तो उसका नामनिर्देशन स्वत: ही समाप्त हो गया समझा जाएगा.''

प्रारुप—4

(नियम 3 तथा नियम 4 देखिए)

पत्र क्रमांक दिनांक ....
द्वारा स्थान ....

श्री ....
लोक सभा सदस्य,/
राज्य विधान सभा सदस्य,

प्रति,

कलक्टर,
....

विषय:—मंडी समिति के सम्मिलनों में भाग लेने के लिये प्रतिनिधि का नामनिर्देशन.

महोदय,

मैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मंडी समिति .... जिसका कि सदस्य होने के लिये मैंने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन विकल्प दिया है, के सम्मिलनों में भाग लेने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को, जिसका कि अनुप्रमाणित फोटो संलग्न है अपने प्रतिनिधि के रुप में नामनिर्दिष्ट करता हूं:—

श्री .... आत्मज श्री .... आयु .... वर्ष
निवासी .... डाक का पता ....

2. मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त व्यक्ति, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के नियम 5 के अधीन नामनिर्देशन के लिये अर्ह है.

भवदीय

हस्ताक्षर ....
नाम ....
लोक सभा सदस्य/राज्य विधान सभा सदस्य ....
निर्वाचन क्षेत्र का नाम ....

सदस्य द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का अनुप्रमाणित पासपोर्ट का आकार का फोटो

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011

पृ. क्र. डी-15-13-08-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 02 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd Febuary, 2011

NOTICE

No. D-15-13-08-XIV-3.—The following draft of rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (xxxii) of sub-section (2) of Section 79 read with clause (d) of sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of rules will be taken into consideration after the expiry of thity days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF RULES

1. **Short title**:—These rules may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Lok Sabha Tatha vidhan Sabha Sadasya Ki Mandi Samiti Me Sadasyata Tatha Pratinidhi Ka Namnirdeshan) Niyam, 2010.

2. **Definitions**.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "**Act**" means the Mahdya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973);

(b) "**Form**" means form appended to these rules;

(c) "**Market Committee**" means a committee constituted under section 11 of the Act;

(d) "**Meeting**" means a Meeting of the Market Committee;

(e) "**Representative**" means the person nominated by a member of the House of People or the Legislative Assembly of the State under clause (d) of sub-section (1) of Section 11 of the Act to represent him in the Market Committee;

(f) "**Section**" means the section of the Act;

(g) "**Voter List**" means the electoral roll or the list of voters of a constituency of Mafket Committee.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Selection of market committee by the Member of the House of People for membership and nomination of representative**.—(1) The Collector shall, as soon as possible, after the declaration of the result of election of Chairman and Members of Market Committees of his district, issue a letter in form 1, to a member of the House of the People, in whose constituency;—

(i) at least fifty percent population as per the published figures of last census resides in rural areas; and

(ii) there is more than one market committee, to request him—

(a) to give an option for the market committee of which he desires to be a member in Form 2, which shall be ăppended with the letter; and

(b) to nominate, if he so desires, any such person, who possess qualification prescribed in rule 5 as his representative for the purpose of attending the meeting of the committee so selected, in Form 4, which shall be appended with the letter.

(2) On receipt of the option/nomination of the representative under sub-rule (1) from the member of the House of People, the Collector shall forward an authentic copy thereof to the Secretary of the market committee concerned.

4. Nomination of representative by Member of State Legislative Assembly,—(1) The Collector shall as soon as possible, after the declaration of the result of election of Chairman and members of market committee of his district, issue a letter in Form 3, to a Mamber of the State Legislative Assembly, in whose constituency at least fifty percent population as per the published figures of last census, resides in rural areas, to request him to nominate, if he so desires, any such person, who possesses qualification prescribed in rule 5 as his representative for the purpose of attending the meeting of market committee in Form 4, which shall be appended with the letter.

(2) On receipt of the nomination of the representative under sub-rule (1) from the Member of the State Legislative Assembly, the Collector shall forward an authentic copy thereof of the Secretary of the market committee concerned.

5. Qualifications for the Representative.—(1) A person shall be qualified to be nominated as representative under rule 3 or rule 4 if,—

(a) his name is included in the voter list of the market committee concerned;

(b) he is qualified to be elected a Chairman or member of the market committee;

(c) he has no direct or indirect pecuniary interest in any agreement, contract or employment with, by or on behalf of the market committee; and

(d) he is not a defaulter of any dues of the market committee.

(2) Any objection relating to the qualification of a representative shall be referred to the Collector and if upon enquiry thereon, the Collector finds that such person was not entitled for nomination, his nomination shall be deemed to have ceased automatically.

6. The position of representative.—(1) The representative shall be entitled to participate in the discussion and express his views in the meeting but shall not be entitled to vote on any issue.

(2) The representative shall not be entitled to receive any traveling allowance, honorarium or any kind of fee from the market committee for attending any meeting.

(3) The representative shall not cause any obstruction in the proceedings of the meeting and shall comply with the direction of the Chairperson of the meeting,

(4) Subject to the provisions of rule 3 and 4, the member of the House of People or the Member of State Legislative Assembly may, nominate any time, a new representative in place of the representative nominated earlier.

7. Repeal and Saving.—As from the date of commencement of these rules, the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Vidhan Sabha Sadasya Ke Mandi Samiti Ke Gathan Mein Sadasyata) Niyam, 1975 shall stand repealed:

Provided that any action taken under the rules so repealed, shall, unless such action is inconsistent with any provision of these rules, be deemed to have been taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

FORM 1
(See rule 3)

Date . . . .
Place . . . .

Letter No. . . . .

From :

Collector
District . . . .

To

Shri . . . .
Member of the House of People (Lok Sabha)
. . . .
. . . .

Sir,

Your constituency has the following Marketing Committees in District . . . . namely :—

(1) Market Committee . . . . (2) Market Committee . . . .

(3) Market Committee . . . . (4) Market Committee . . . .

(5) Market Committee . . . . (6) Market Committee . . . .

(7) Market Committee . . . . (8) Market Committee . . . .

As per the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), you can be a member of only one of the market committee of your Constituency. You are, therefore, requested to please inform me of your option in this regard in the attached Form 2.

2. In case you desire to nominate any person as your representative of the market committee in the event of your absence, then please send his nomination in the attached Form 4.

3. For your convenience, the extract of Section 11 of the Mandi Act and the relevant rule relating to qualifications prescribed for the representative to be nominated are appended herewith.

Yours faithfully,

Enclosures—As above

(. . . . .)
Collector . . . .

Seal

ATTACHMENT OF FORM 1

EXTRACT

1. Extract of clause (d) of sub-section (1) of Section 11 of Mandi Act

11. Constitution of Market Committee

(1) A Market Committee shall consist of—

(a) . . . .

(b) . . . .

(c) . . . .

(d) Such member of the State Legislative Assembly and House of the People in whose constituency at least fifty percent of population resides in rural areas, that is outside the local limits of a Municipal Corporation, Municipal Council or Nagar Panchayat:

Provided that a constituency where more than one market committee exists the member of the House of People shall have to give his option before the election, one of the market committees in which he wishes to become a member:

Provided further that the member of the House of People or the member of the State Legislative Assembly who is a member of the market committee may nominate his representative who possess such qualification as may be prescribed for the purpose of attending the meeting of the market committee.

2. Extracts or rule 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Lok Sabha Tatha Vidhan Sabha Sadasya Ki Mandi Samiti Mein Sadasyata Tatha Pratinidhi Ka Namnirdeshan) Niyam, 2010.

"**5. Qualifications for the representative .**—(1) A person shall be qualified to be nominated as representative under rule 3 or rule 4, if—

(a) his name is included in the voter list of the market committee concenred;

(b) he is qualified to be elected as Chairman or a member of the market committee;

(c) he has no direct or indirect pecuniary interest in any agreement, contract or employment with, by or on behalf of the market committee;

(d) he is not a defaulter of any dues of the market committee.

(2) Any objection relating to the qualification of a representative shall be referred to the Collector and if upon enquiry thereon, the Collector finds that such person was not, entitled for nomination, his nomination shall be deemed to have ceased automatically,"

FORM 2
(See rule 3)

Date . . . .
Place . . . .

Letter No. . . . .

From :

Shri . . . .
Member of House of the People (Lok Sabha)
. . . .
. . . .

To

Collector
District . . . .

Subject : Option relating to membership of market committee.

Sir,

I, hereby, opt to be a member of market committee . . . . situated in my Constituency.

Yours faithfully,

Signature . . . .
Name . . . .
Member of House of the People
(Lok Sabha)
Name of the Constituency . . . .

FORM 3
(See rule 4)

Date . . . .
Place . . . .

Letter No. . . . .

From :

Collector
District . . . .

To

Shri . . . .
Member of House of the People (Lok Sabha)
. . . .
. . . .

Sir,

Your constituency has the following market committees in District . . . . namely :—

(1) Market Committee . . . .   (2) Market Committee . . . .

(3) Market Committee . . . .   (4) Market Committee . . . .

As per the provision of clause (d) of sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), you are ex-officio member of all the market committees of your constituency.

2. In case you desire to nominate any person as your representative to attend the meetings of any market committee in the event of your absence, then please send his nomination in the attached Form 4. You are also requested to use a separate Form (Form 4) for each market committee.

3. For your convenience, the relevant rule relating to qualification prescribed for the representative to be nominated is appended herewith.

Yours faithfully

Enclosure—As above

(. . . . .)
Collector . . . .

Seal

ATTACHMENT OF FORM 3
EXTRACT

Extract of rule 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Lok Sabha Tatha Vidhan Sabha Sadasya Ki Sadasyata Tatha Pratinidhi Ka Namnideshan) Niyam 2010

5. Qualifications for the representative .—(1) A person shall be qualified to be nominated as a representative under rule 3 or rule 4, if—

(a) his name is included in the voter list of the market committee concenred;

(b) he is qualified to be elected as Chairman or a member of the market committee;

(c) he has no direct or indirect pecuniary interest in any agreement, contract or employment with, by or on behalf of the market committee; and

(d) he is not a defaulter of any dues of the market committee.

(2) Any objection relating to the qualification of a representative shall be referred to the Collector and if upon enquiry thereon, the Collector finds that such person was not, entitled for nomination, the nomination of such person shall be deemed to have ceased automatically."

FORM 4
(See rule 3 and rule 4)

Date . . . .
Place . . . .

Letter No. . . . .

From :

Shri . . . .
Member of the House of People (Lok Sabha)/
Member of State Legislative Assembly (Vidhan Sabha)
. . . .

To

Collector
. . . .

Subject : Nomination of representative for attending the meetings of the market committee;

Sir,

I, hereby, nominate the following person of which attested photo is attached as my representative to attend the meetings of the market committee . . . . of my constituency, of which I have opted ot be a member under clause (d) of sub-section (1) of Section 11 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973):

Shri . . . . Son of Shri . . . . Age . . . . years, Resident of : . . . . postal address . . . .

2. To the best of may knowledge and belief, the aforesaid person is qualified for nomination under rule 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Lok Sabha Tatha Vidhan Sabha Sadasya Ki Mandi Samiti Mein Sadasyata Tatha Pratinidhi Ka Namnirdeshan) Niyam, 2010

Passport Size photograph of nominated representative attested by member

Yours faithfully,

Signature . . . .
Name . . . .
Member of House of the People
(Lok Sabha)/State Legislative Assembly
Name of the Constiteency . . . .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.